उत्तराचंल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन एवं निवारण अधिनियम–2005 की अधिसूचना के तत्काल बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 अधिसूचित

DR. MANJU PANDEY

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–14 व धारा–25 के अनुपालन में राज्य व जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का गठन।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–23 के अनुपालन में राज्य आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकास किया जाना है।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–23 (4) के अनुपालन में राज्य आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

- (अ) राज्य के विभिन्न भागों की आपदा संवेदनशीलता;
  (ब) प्रस्तावित आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपाय;
  (स) न्यूनीकरण उपायों का विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेश;
  (द) क्षमता विकास व पूर्व तैयारी उपाय;
  (य) उपरोक्त उपधारा–(ब), (स) एवं (द) में उल्लेखित उपायों के सन्दर्भ में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिका व उत्तरादायित्व;
  (र) आपदा या आपदा की स्थिति में प्रतिवादन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–40(1)(अ) के क्रम में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का विकास किया जाना है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–40(1)(अ) के अनुपालन में विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं में निम्न बिन्दुओं को समावेशित किया जाना है–

(i) विभिन्न आपदाओं के प्रति राज्य की धातकता;

(ii) विभागीय कार्यक्रमों व योजनाओं के अन्तर्गत आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण रणनीति का समावेश;

(iii) आपदा या आपदा की स्थिति एवं विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले आपातकालीन कार्यो में विभागीय भूमिका व उत्तरदायित्वों का स्पष्ट चिन्हांकन;

(iv) उपधारा–(iii) में इंगित भूमिकाओं व उत्तरादायित्वों के निवर्हन हेतु वांछित तैयारियों का वर्तमान स्तर;

(v) चिन्हित भूमिकाओं व उत्तरदयित्वों के निवर्हन हेतु विभागीय कार्मिकों के क्षमता विकास एवं पूर्वतैयारी हेतु योजना;

(vi) विभागीय कार्ययोजनों की नियमित समीक्षा एवं उच्चीकरण की व्यवस्था।

उक्त के आलोक मे आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण–

- राज्य व जनपद स्तर में आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना
- आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन हेतु राज्य व जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित
- महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने व भूकम्प सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य व जनपद स्तर पर आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ व आपदा सुरक्षा ईकाइयाँ गठित

- विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियों का आलेख तैयार
- भूकम्प सुरक्षा हेतु राजमिस्त्रियों व अभियन्ताओं हेतु नियमित प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता
- खोज एवं बचाव हेतु कार्मिकों के नियमित प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था
- तहसील स्तर पर आवश्यक एवं आधारभूत खोज एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता

- आपदा की स्थिति में वांछित संसाधनों का भौगोलिक सूचना प्रणाली पर्यावरण में मानचित्रीकरण
- राज्य के कुछ शहरों का भूकम्प घातकता विश्लेषण प्रगति में
- समस्त जनपदों की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार
- राज्य आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का प्रारूप तैयार

राज्य व विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं के विकास हेतु प्रस्तावित रणनीति

- विभिन्न आपदाओं के लिये नोडल विभागों का स्पष्ट चिन्हांकन
- आपदा प्रतिवादन एवं राहत हेतु विभागीय भूमिका व उत्तरदायित्व निर्धारण
- आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभागों में पृथक प्रकोष्ठ का गठन व नोडल अधिकारियों का नामांकन

- प्रत्येक विभाग द्वारा विभागीय अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित की जानी
- निश्चित समयावधि में आपदा प्रबन्धन विभाग के सहयोग से विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियों की समीक्षा व उच्चीकरण/ विकास
- निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत राज्य व जनपद स्तरीय विभागीय संसाधनों का विवरण उपलब्ध करवाया जाना

- आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यो हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण
- आपदा प्रबन्धन विभाग के सहयोग से विभागीय कार्ययोजना का विकास
- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम
- विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के त्वरित व प्रभावी सम्पादन हेतु नियमित अभ्यास (Mock Exercise)

- प्रत्येक विभाग द्वारा सम्भावित आपदाओं व विभागीय उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में पूर्व तैयारी का उपयुक्त स्तर बनाये रखना
- आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये बजट व्यवस्था
- आपदा प्रबन्धन विभाग के साथ सूचनाओं का नियमित आदान–प्रदान व उच्चीकरण

पुलिस, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा आपदा के परिप्रेक्ष्य में सम्पादित किये जाने वाले दायित्वों व आपदा पूर्व किये जाने वाले कार्यों के उदाहरण

पुलिस विभाग

आपदा के परिप्रेक्ष्य में दायित्व

- खोज एवं बचाव
- कानून–व्यवस्था
- सुरक्षा
- चिकित्सा–विधिक औपचारिकतायें
- घायलों/मृतकों की शिनाख्त
- संचार
- अन्य सम्बन्धित विभागीय कार्य

आपदा पूर्व किये जाने वाले कार्य

- पुलिस स्टेशनों /चौकियों एवं अग्निशमन स्टेशनों की भूकम्प सुरक्षा
- क्षमता विकास
- उपकरणों की उपलब्धता
- संचार व्यवस्था
- त्वरित प्रतिवादन हेतु आवश्यक गतिशीलता
- नियमित अभ्यास

चिकित्सा विभाग

आपदा के परिप्रेक्ष्य में दायित्व

- प्राथमिक चिकित्सा
- परामर्श
- घायलों का स्थानान्तरण
- चिकित्सकीय सुविधा
- एहतियाती टीकाकरण
- महामारी रोकथाम
- शव परीक्षा
- मानसिक आघात हेतु परामर्श

आपदा पूर्व किये जाने वाले कार्य

- स्वास्थ्य केन्द्रों की भूकम्प सुरक्षा
- सुविधाओं का उच्चीकरण
- संसाधनों का मानचित्रीकरण
- संचार व्यवस्था उच्चीकरण
- क्षमता विकास
- जागरूकता
- एहतियाती टीकाकरण
- आवश्यक दवाओं व अन्य का भंडारण
- अभ्यास

लोक निर्माण विभाग

आपदा के परिप्रेक्ष्य में दायित्व

- विभागीय निर्माण कार्यों में आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों का समावेश
- क्षति आँकलन
- मरम्मत एवं पुनर्निर्माण
- अस्थाई आश्रय स्थलों व अन्य का निर्माण

आपदा पूर्व किये जाने वाले कार्य

- विभागीय परिसम्पत्तियों की भूकम्प सुरक्षा
- अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परिसम्पत्तियों की भूकम्प सुरक्षा आँकलन
- भूकम्प सुरक्षा हेतु मानकों का निर्धारण
- भूकम्प सुरक्षा, मजबूतीकरण, जोखिम आँकलन व क्षति आँकलन हेतु क्षमता विकास
- आपदा उपरान्त चिन्हित आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण सामग्री व अन्य का भण्डारण
- उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रीकरण
- संचार व्यवस्था का उच्चीकरण
- अभ्यास

किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु प्रस्तावित समयावधि

1.	राज्य व जनपद स्तरीय विभागीय सूचनाओं का आदान–प्रदान	01 माह
2.	विभागीय आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठों का गठन	01 माह
3.	विभागीय नोडल अधिकारियों का नामांकन	02 सप्ताह
4.	विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियों का उच्चीकरण/विकास	02 माह
5.	विभागीय परिसम्पत्तियों की भूकम्प सुरक्षा हेतु आवश्यकता निर्धारण	03 माह

6.	विभागीय कार्मिकों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम	02 माह
7.	विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का विकास	04 माह
8.	आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु बजट प्रस्ताव	02 माह
9.	राज्य आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकास	04 माह

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–14)

1. मा. मुख्यमंत्री जी राज्य प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष।
2. अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम 08 सदस्य।
3. राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य।
4. प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी नामित सदस्य को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष घोषित कर सकता है।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

(शासनादेश संख्या–1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 10.10.2007)

1.	मा. मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
2.	मा. आपदा प्रबन्धन मंत्री	–	उपाध्यक्ष
3.	मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	–	सदस्य
4.	मा. पेयजल एवं सिंचाई मंत्री	–	सदस्य
5.	मा. परिवहन मंत्री	–	सदस्य
6.	मा. ग्राम्य विकास मंत्री	–	सदस्य
7.	राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव)	–	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	प्रमुख सचिव, वित्त	–	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	–	सदस्य

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–18)

1. राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का प्रतिक्रिया
2. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का अनुमोदन
3. विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन
4. राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश
5. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन
6. न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी उपायों हेतु वित्तीय संसाधनों हेतु संस्तुति

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–18)

7. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय विकास योजनाओं की समीक्षा
8. आपदा न्यूनीकरण, क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा–निर्देश
9. राज्य में आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत मानकों का निर्धारण एवं तद्सम्बन्धित दिशा–निर्देश

राज्य सलाहकार समिति

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–17)

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र के विशेषज्ञों व आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

राज्य कार्यकारी समिति

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–20)

1. राज्य का मुख्य सचिव समिति का पदेन अध्यक्ष।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 04 विभागों के सचिव समिति के पदेन सदस्य।

राज्य कार्यकारी समिति के कृत्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–22)

1. आपदा प्रबन्धन नीतियों व योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वय;
2. आपदा संवेदनशीलता आंकलन व आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों का निर्धारण;
3. जनपद व विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित किये जाने हेतु मार्गनिर्देश;
4. जनपद व विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण;

5. विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु चिन्हित उपायों का समावेश सुनिश्चित करना;

6. आपदा पूर्व तैयारी स्तर का आंकलन व इस हेतु दिशानिर्देश;

7. आपदा प्रतिक्रिया कार्यो का समन्वयन;

8. राज्य में अवस्थित समस्त विभागों, संस्थाओं व अन्य को प्रतिक्रिया सम्बन्धित निर्देश;

9. आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण सम्बन्धित जानकारियों के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन;

10. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त विभागों, संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यो में का समन्वय;

11. जनपद एवं स्थानीय प्राधिकरणों को उनके तकनीकी सहयोग;

12. आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित वित्तीय पक्षों पर राज्य सरकार को परामर्श;

13. राज्य में हो रहे निर्माण कार्यो में आपदा रोधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश;

14. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचनायें उपलब्ध करवाना;

15. राज्य व जनपद स्तरीय प्रतिक्रिया योजना का विकास, पुनर्निरीक्षण व उच्चीकरण सुनिश्चित किया जाना

16. संचार सम्बन्धित व्यवस्थायें सुनिश्चित करना और समय–समय पर आपदा सम्बन्धित अभ्यास करवाना;

17. राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन।

आपदा की परिस्थितियों में राज्य कार्यकारी समिति के कार्य व शक्तियॉ

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–24)

1. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण;
2. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण या प्रतिबन्ध;
3. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य सम्पादित करना;
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावितों के लिये शरण/आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक सामग्रियों/ वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं की व्यवस्था;

5. सम्बन्धित विभागों व अन्य को जान–माल बचाने के उद्देश्य से खोज, बचाव, निकासी एवं तत्कालिक राहत सम्बन्धित निर्देश;

6. आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत एंव बचाव कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के उद्देश्य से संसाधनों को अधिग्रहित किये जाने सम्बन्धित निर्देश;

7. राहत एवं बचाव कार्यो के प्रभावी सम्पादन के लिये विशेषज्ञों का परामर्श लिया जाना;

8. प्राथमिकता के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय;
9. सुनिश्चित करना कि स्वयं सेवी संस्थायें उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें;
10. आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण;
11. राज्य या केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप आपदा की स्थिति में वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–25)

1. जिलाधिकारी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष।
2. स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि प्राधिकरण का पदेन उपाध्यक्ष।
3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य।
4. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य।
7. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकमत 02 जनपद स्तरीय अधिकारी।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियॉ व कृत्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–30)

1. जनपद प्रतिक्रिया योजना सहित जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकास;
2. राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वय परिवीक्षण;
3. जनपद आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन किया गया है;

4. जनपद स्तर पर राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु निर्धारित मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
5. जनपद व स्थानीय अधिकारियों/विभागों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश;
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश;
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन व अनुश्रवण;

8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता;

9. उपरोक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण;

10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं का आंकलन व आवश्यकतानुसार विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण हेतु दिशानिर्देश;

11. पूर्व तैयारी के स्तर का आंकलन एवं किसी भी सम्भावित आपदा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धितों को पूर्वतैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने के लिये निर्देश;

12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वंयसेवी बचाव कार्मिकों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों का आयोजन;

13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन;

14. आपदा चेतावनी तंत्र व जन सूचना तंत्र विकसित किया जाना एवं इसका रख–रखाव, व उच्चीकरण किया जाना;

15. जनपद स्तरीय प्रतिक्रिया योजना व मार्गनिर्देशिका तैयार करना व इसका उच्चीकरण करना;

16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिक्रिया कार्यो का समन्वयन;

17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिक्रिया योजना के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया योजना विकसित करें;
18. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने हेतु प्रभावी प्रतिक्रिया सम्बन्धित उपायों के मार्गनिर्देश स्थापित करना एंव जनपद के अन्तर्गत समस्त विभागों, निकायों व अन्य को इनके अनुपालन हेतु निर्देश;
19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो में लगे सभी जनपद स्तरीय विभागों, निकायों स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके समन्वयन;

20. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन जनपद में अवस्थित समस्त स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशानिर्देश;

21. स्थानीय निकायों को उपके लिये नियत कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना;

22. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों के समावेश किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय विभागों एवं प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन;

23 आपदा सुरक्षा मानकों के अनुपालन के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण एवं मानकों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश;

24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ–सफाई व्यवस्थायें की जानी;

25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंडारण या फिर आवश्यक पूर्वतैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके;

26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना;
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं को आपदा कल्याणकारी संस्थाओं कार्यो के लिये प्रोत्साहित करना;
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं;
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन।

राज्य आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–23)

: राज्य कार्ययोजना में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश होगा

1. राज्य के विभिन्न भागों की अलग–अलग आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता;
2. आपदा रोकथाम व इनके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले उपायों का विवरण;
3. न्यूनीकरण उपायों के विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेश हेतु प्रक्रिया का निर्धारण;
4. प्रयुक्त होने वाले पूर्व तैयारी उपायों व क्षमता विकास कार्यक्रमों का विवरण;
5. उपरोक्त निर्धारित कार्यो के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व व भूमिका;
6. आपदा प्रतिक्रिया कार्यो में राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व एवं भूमिका।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–31)

जनपद स्तरीय कार्ययोजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जायेगाः

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील जनपद के भागों का चिन्हांकन व विवरण;
2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य;
3. त्वरित एवं प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता विकास एवं पूर्वतैयारी हेतु जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य;

4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया योजना एवं कार्यविधियॉं;

- जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण;
- आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया एवं तत्कालिक राहत;
- आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति;
- संचार तंत्र की स्थापना;
- जन साधारण के लिये सूचनाओं का प्रसारण;
- राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारियॉं।

जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग एवं स्थानीय निकाय का प्रत्येक विभाग एवं स्थानीय निकाय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की देख–रेख में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना बनायी जानी सुनिश्चित करेगें:

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाली आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण सम्बन्धित संसाधन
2. जनपद योजना के अनुरूप क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित व्यवस्थायें

3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये योजना व कार्यविधि;
4. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये दिये जाने के निर्देश;
5. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध;
6. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तिओं के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध;
7. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य;
8. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था;
9. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार व्यवस्था की स्थापना;

10. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था;
11. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग को आपदा की स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने के निर्देश;
12. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से सलाह;
13. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप आपूर्ति;
14. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं को ध्वस्त किया जाना;
15. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हों;
16. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन।

राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–38)

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य, जनपद व स्थानीय प्राधिकरणों एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यो के मध्य समन्वयन;
2. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राज्य प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति व जनपद प्राधिकरणों को सहयोग व सहायता;
3. भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों पर उनके द्वारा वांछित या आवश्यक सहयोग व सहायता;

4. राज्य व जनपद योजनाओं में प्रयुक्त व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण क्षमता विकास एवं पूर्वतैयारी उपायों के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक सहयोग व बजट व्यवस्था;
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों का समावेश सुनिश्चित करना;
6. राज्य की विकास योजना में विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता कम किये जाने हेतु आवश्यक उपायों का समावेश;

7. राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाया जाना सुनिश्चित करना;
8. आपदा संवेदनशील जनसमुदाय के स्तर तक समुचित चेतावनी व्यवस्था का किया जाना;
9. सुनिश्चित किया जाना कि राज्य सरकार के विभागों एवं जनपद प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त पूर्व तैयारी व्यवस्थायें की जायें;

10. सुनिश्चित किया जाना कि आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाये जायें;
11. आपदा प्रभावितों के लिये पुनर्वास व पुननिर्माण सहायता की उपलब्धता;
12. आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक अन्य कार्यो का सम्पादन।

राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–40)

राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुये राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना का विकास किया जायेगा:

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति राज्य के भिन्न–भिन्न भागों की संवेदनशीलता;
2. विभागीय विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों का समावेश;
3. आपदा की परिस्थितियों में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदायित्व व भूमिका का निर्धारण;
4. उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु तैयारी का वर्तमान स्तर;

5. विभाग हेतु किये जाने वाले कार्यो व उत्तरदायित्वों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित क्षमता विकास व पूर्व तैयारी व्यस्थायें।

6. आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय प्रत्येक विभाग द्वारा उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष
(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–46)

1. केन्द्र सरकार द्वारा आपदा की स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना की जायेगी।
2. यह कोष आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को उपलब्ध होगा।
3. इस से व्यय के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण से परामर्श कर मानक बनाये जायेंगे।

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–47)

1. आपदा न्यूनीकरण आवश्यकताओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना की जायेगी।

2. इस कोष का संचालन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

राज्यों द्वारा स्थापित कोष

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–48)

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कोष स्थापित किये जाने हैं

1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष।
2. राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष।
3. जनपद आपदा प्रतिक्रिया कोष।
4. जनपद आपदा न्यूनीकरण कोष।
5. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष राज्य कार्यकारी समिति
6. को व राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष राज्य प्राधिकरण
7. को उपलब्ध होगा। जनपद स्तरीय कोष जनपद प्राधिकरण को उपलब्ध होंगे।

आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–50)

आपदा की परिस्थितियों में राष्ट्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा बचाव या राहत आपूर्तियों के आपातकालीन क्रय आवश्यकता के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में:

1. इसके द्वारा सम्बन्धित विभाग को आपातकालीन क्रय हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सामान्य निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने की बाध्यता नही होगी।
2. राष्ट्रीय, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेखा सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिये पर्याप्त माना जायेगा।

दंडात्मक व्यवस्थायें

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–51

- बिना पर्याप्त एवं तर्कसंगत कारण के इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यो का सम्पादन कर रहे राज्य या केन्द्र सरकार के कार्मिकों या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्यो को बाधित किये जाने या राज्य या केन्द्र सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से निर्गत निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो का दंड दिया जा सकता है।
- दोषी व्यक्ति के कृत्यों के कारण यदि किसी की मृत्यु होती है या जान जोखिम में पड़ने की स्थिति में कारावास की अवधि दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

दोषपूर्ण दावे

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–52)

- राहत, पुनर्वास, पुननिर्माण या अन्य लाभों को लिये जाने के उद्देश्य से सरकार एवं सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष जान बूझ कर गलत, त्रुटिपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना किया जा सकता है।

धन या संसाधनों का दुरूपयोग

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–53)

- आपदा की परिस्थिति में धन एवं संसाधनों की संरक्षा के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या अन्य के लिये इनका उपयोग किये जाने या किसी अन्य को ऐसा करने के लिये विवश करने पर सम्बन्धित को दो वर्ष तक के कारावास व अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

मिथ्या चेतावनी

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–54)

- आपदा या फिर उसकी तीक्ष्णता या परिमाण के विषय में मिथ्या चेतावनी देने के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

अधिकारी द्वारा कार्य न करना
(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–56)

- जब तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय से लिखित अनुमति न ली जाये इस अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यो का सम्पादन न करने पर या इस हेतु उपस्थित न होने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

राहत कार्यों के लिये संसाधनों को हस्तगत करना

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–65)

सम्बन्धित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न के सन्दर्भ में संतुष्ट होने पर:

1. कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिये किसी संस्था या व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन आवश्यक है;

2. कि बचाव कार्यों के लिये किसी अवसंरचना की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ सकती है; या

3. संसाधनों की आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपूर्ति के लिये या फिर बचाव, पुनर्वास या पुननिर्माण सम्बन्धित यातायात व्यवस्था के लिये किसी विशिष्ट यातायात साधन की आवश्यकता है।

- सम्बन्धित प्राधिकृत व्यक्ति लिखित आदेशों के क्रम में उक्त संसाधनों को हस्तमत कर सकता है।
- इन संसाधनों को हस्तगत किये जाने की अवधि इनके आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली अवधि से अधिक नहीं होगी।
- संसाधनों को हस्तगत किये जाने सम्बन्धित आदेश का अनुपालन न किये जाने के दोषी व्यक्ति एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो हो सकते हैं।

चेतावनी प्रसारण

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–67)

- राष्ट्रीय, राज्य व जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा सम्बन्धित चेतावनियों, जानकारियों या अन्य के प्रसारण के लिये किसी भी प्रकार के दृश्य–श्रव्य संचार माध्यम के नियंत्रक को इस हेतु निर्देशित किये जाने की संस्तुति सरकार को दे सकती है और सम्बन्धित संचार माध्यम द्वारा उक्त का अनुपालन किया जाना होगा।

- केन्द्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय व राज्य कार्यवाही समितियों व राष्ट्र, राज्य व जनपद प्राधिकरणों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा दी गयी या प्रसारित की गयी कसी भी आपदा सम्बन्धित चेतावनी के लिये या फिर इस प्रकार की चेतावनी के आधार पर निर्गत आदेशों या किये कार्यो के लिये पूर्ण विधीय प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।

विधीय व्यवस्था

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–71)

- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी भी कार्य, आदेश, निर्देश या मार्गनिर्देश के सम्बन्ध में विधीय कार्यवाही आरम्भ नही की जायेगी।

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत या तद्सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अच्छी भावना से किये गये किसी भी कार्य के लिये राज्य या केन्द्र सरकार या राज्य प्राधिकरण, या इनका कोई कार्मिक या इनके लिये कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।